न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

(1)

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1031-तीन/2003 - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-3-2002 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 148/2001-02 अपील

1- कल्याण प्रसाद 2- सुदामा 3- बच्चू
4- रामनरेश पुत्रगण जसबंत ब्राहमण
ग्राम कतरोल तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामेश पुत्र मुन्नालाल
2- श्रीमती राजकुमारी पत्नि कन्हई पुत्री मुन्नालाल
ग्राम अमलेड़ा
3- श्रीमती रानी पत्नि मनोज सिंह पुत्री मुन्नालाल
ग्राम सुनारपुरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड
4- सूरजनारायण 5- राधामोहन 6- लक्ष्मीनारायण
7- भूरेलाल पुत्रगण रामगोपाल ग्राम कतरोल
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 148/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कतरोल की भूमि सर्वे क्रमांक 1542, 1582/2, 1988, 1989/1 कुल किता 4 कुल रकबा 3-574 हैक्टर हिस्सा 1/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रामगोपाल पुत्र जोरावर ब्राहमण के नाम थी। इस भूमि पर तहसीलदार मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 45/97-98 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 27-6-2001 से बसीयत के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। अनावेदकगण ने इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 71/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2002 से तहसीलदार मेहगॉव का आदेश दिनांक 27-6-01 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 148/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2002 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि के आवेदकगण बसीयतग्रहीता हैं जबकि बसीयतग्रहीता के पिता एंव बसीयतकर्ता भाई-भाई होकर वादग्रस्त भूमि में बरावर के सहभागीदार थे। बसीयतकर्ता अर्थात रामगोपाल पुत्र जोरावर ब्राहमण ने अपने विधिक वारिसान को नजरन्दाज करके वादग्रस्त भूमि की बसीयत आवेदकगण के हित में की है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी का अभिमत है कि तहसीलदार के प्रकरण के परीक्षण पर यह ज्ञात नहीं होता है कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां रही है कि जिसके कारण एक पिता अपनी पैत्रिक भूमि से अपनी औलाद का हक समाप्त करके भतीजों के नाम बसीयत करेगा। बसीयत में लिखी इवारत से एंव साक्षीगण के कथनों से अपॅजीयत बसीयत को संदेहास्पद मानकर एंव बसीयत

कर्ता के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 148/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2002 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आवेदकगण जो अनुतोष इस न्यायालय से पाना चाहते हैं वह तहसील न्यायालय में पुर्नसुनवाई के दौरान स्वयं् के पक्ष में लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके बसीयत के आधार पर नामान्तरण का दावा प्रमाणित करके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के आदेश दिनांक 27-3-2002 एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 27-3-2002 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 148/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2002 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर